सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **72** राँची, मंगलवार

1 पौष, 1937 (श०)

22 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 दिसम्बर, 2015

1. उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-1578/गो0, दिनांक 06 नवम्बर, 2014 एवं पत्रांक-990/गो0, दिनांक 05 जून, 2015

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-12031, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014, पत्रांक-410, दिनांक 16 जनवरी, 2015 एवं पत्रांक-3123, दिनांक 07 अप्रैल, 2015

संख्या-5/आरोप-1-152/2014 का०-10476--श्री विजय कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी, गिरिडीह के विरूद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1578/गो0, दिनांक 06 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप

गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं0-1. वर्ष 200-01 से माह-मई, 2014 तक विधायक मद के अंतर्गत बिरनी प्रखण्ड को 5,05,22,678.00 रू0 उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरूद्ध अब तक 3,32,80,664.00 रूपये का डी0सी0 विपत्र सामंजन हेतु लंबित है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत् उपब्ध कराये गये 1,27,84,776.00 रूपये के विरूद्ध 1,22,87,204.00 रूपये का डी0सी0 विपत्र सामंजन हेतु लंबित है। विधायक मद के 3,10,97,270.00 एवं मुख्यमंत्री विकास योजना मद के 79,99,749.00 रूपये का डी0सी0 विपत्र लंबित है। यह कृत्य श्री कुमार के लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

आरोप सं0-2. मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिरनी प्रखण्ड का श्रम बजट 932.52 लाख रूपये है, जिसके विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी द्वारा जून 2014 तक कुल व्यय 163.92 रूपये किया गया है, जो श्रम बजट का 18 प्रतिशत है। इसी तरह श्रम बजट के आधार पर माह-सितम्बर, 2014 तक श्रम बजट का 50 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है, जो काफी असंतोषजनक है। इस प्रकार मनरेगा में श्री कुमार की उदासीनता, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है।

आरोप सं0-3. दिनांक 24 अगस्त, 2014 को बिरनी प्रखण्ड भ्रमण के दौरान विभिन्न योजनाओं की जाँच में अनियमितता पायी गयी-

(क) मुख्यमंत्री विकास योजना एवं विधायक मद से संबंधित अभिलेखों का संधारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इन योजनाओं में जिला द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के संबंध में श्री कुमार द्वारा नहीं बताया जा सका। जिला के अभिलेख एवं प्रखण्ड के अभिलेख में भिन्नता पायी गयी। यह भी पाया गया किलंबित डी0सी0 विपत्रों के समायोजन के प्रति दिलचस्पी नहीं ली जा रही है।

(ख) इंदिरा आवास योजना के लाभुकों द्वारा फोटो समर्पित किये जाने के बावजूद अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रखण्ड में banking correspondent रहने के बावजूद लाभुकों का खाता नहीं खुलवाया जा रहा है।

(ग) बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में रूचि नहीं ली जा रही है।

(घ) यू0आई0डी0 योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी समर्पित नहीं किया गया है।

(च) मनरेगा से संबंधित स्थानीय एवं राज्य स्तरीय शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

(छ) **Royalty**- विभिन्न योजनाओं में Sales Tax/Mining से संबंधित कटौती तो की जा रही है, परंतु कटौती की गयी राशि को संबंधित विभाग में जमा नहीं किया जा रहा है, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

आरोप सं0-4. दिनांक-15 सितम्बर, 2014 के MIS प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मनरेगा से कार्यान्वित योजनाओं का सामग्री भुगतान संबंधित पंचायतों यथा-बलिया, केन्दुआ, तेतरिया सलैयाडीह आदि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है।

आरोप सं0-5. मतदान केन्द्र सं0-104, म0वि0 पेशम, द0 भाग एवं मतदान केन्द्र सं0-105 उ0म0वि0, अम्बाटाँड के मतदाता सूची का मुख्य पृष्ठ आपस में एक दूसरे मतदान केन्द्र में कर दिया गया, जिस कारण प्रभावित मतदाताओं द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2014 को होने वाले लोक सभा चुनाव, 2014 का बहिष्कार किया गया, जिसके कारण उक्त मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक-

1020/निर्वा0, दिनांक 13 अप्रैल, 2014 द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया गया है।

आरोप सं0-6. आसन्न राज्य विधान सभा आम चुनाव, 2014 के आलोक में 1 जनवरी, 2014 को अर्हता पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसके दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा श्री विजय कुमार, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल पदाधिकारी, बिरनी, गिरिडीह को इस संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया। लोक सभा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्र संख्या-104, 105, 106 एवं 107 के मतदाता सूची में पायी गयी त्रुटियों की जानकारी होते हुए भी इसे दूर करने की कार्रवाई ससमय निराकरण नहीं किया गया।

आरोप सं0-7. लोक सभा चुनाव, 2014 के दौरान मतदान के दिन उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु कार्यालय पत्रांक-1507/निर्वा0, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रश्नगत मतदान केन्द्रों के मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर प्रपत्र-'8क' में मतदाताओं से प्राप्त कर त्रुटियों के निराकरण हेतु निदेशित किया गया था परंतु उनके पत्रांक-573, दिनांक-18 अक्टूबर, 2014 द्वारा संबंधित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्रपत्र-'8क' जमा किया गया, जबकि आयोग द्वारा झारखण्ड आम विधान सभा चुनाव, 2014 की तारीखों की घोषणा कर दी गयी, जिसके कारण उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्रों पर ERMS Software में कार्रवाई नहीं किया जा सकी।

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-12031, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा पत्रांक-410, दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा स्मारित किया गया। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-107, दिनांक 09 फरवरी, 2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं:-

आरोप सं0-1. मैंने बिरनी प्रखण्ड में दिनांक-14 अगस्त, 2013 को प्रभार ग्रहण किया है। मेरे पूर्व के तेरह वर्षों में पदस्थापित किसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को लापरवाह नहीं बताया गया है जबकि मेरे द्वारा विधायक मद में 2,23,66,723/- एवं मुख्यमंत्री विकास योजना मद में 32,97,794/-यानी कुल मो0 2,56,64,517/- का डी0सी0बिल महालेखाकार , राँची को समर्पित किया गया है।

आरोप सं0-2. यह आरोप पत्र मनरेगा अंतर्गत श्रम बजट का प्रतिशत व्यय जून, 2014 का दर्शाते हुए नवम्बर 2014 के प्रथम सप्ताह में गठित किया गया है। ज्ञात हो कि 02 नवम्बर, 2014 के MIS प्रतिवेदन के अनुसार श्रम बजट 932.52 लाख के विरूद्ध मो0 413.42 लाख व्यय किया गया है, जो कि कुल श्रम बजट का 44.33 प्रतिशत है एवं अक्टूबर माह के लक्ष्य 491.38 लाख के विरूद्ध 84.13 प्रतिशत व्यय है। ज्ञात हो कि मनरेगा अंतर्गत व्यय माँग आधारित होता है। अगर मजदूरों द्वारा कार्य की माँग न हो तो जबरदस्ती श्रम बजट का प्रतिशत व्यय बढ़ाने के उद्देश्य से गलत ढंग से खर्च नहीं किया जा सकता।

आरोप सं0-3. तत्कालीन उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बिरनी प्रखण्ड का निरीक्षण दिनांक-24 अगस्त, 2014 को किया गया था, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक-848, दिनांक-13 सितम्बर, 2014 के माध्यम से उपायुक्त को समर्पित किया गया था। इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि उक्त अनुपालन पत्र की अनदेखी कर उसकी बिना कोई चर्चा किये एक पक्षीय आरोप गठित किया गय है, जो कि Principal of natural justice का उल्लंघन है।

आरोप सं0-4. मनेरगा से कार्यान्वित योजनाओं की देखरेख करने की सारी जिम्मेवारी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी(मनरेगा) की होती है। प्र0वि0पदा0 का पर्यवेक्षण करना है। बलिया, केन्दुआ एवं तेतरिया सलैयाडीह के सामग्री भुगतान लंबित रहने का मामला प्रकाश में आते ही अपने दिशा-निर्देश में तत्काल भुगतान करा दिया गया, जिसकी मौखिक सूचना तत्कालीन उपायुक्त को दे दी गयी थी।

आरोप सं0-5. इस आरोप में उपायुक्त के जिस पत्रांक-1020/निर्वा0, दिनांक 13 अप्रैल, 2014 का हवाला दिया गया है, उसमें अंकित निष्कर्ष निम्नवत् है:-"मतदान केन्द्र सं0-104, म0वि0 पेशम, द0 भाग एवं मतदान केन्द्र सं0-105 उ0म0वि0, अम्बाटाँड के बी0एल0ओ0 क्रमशः नारायण विश्वकर्मा एवं त्रिभुवन प्रसाद वर्मा द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती गयी है एवं साथ ही चुनाव कार्य के प्रभारी पर्यवेक्षक श्री विनोद कुमार साह, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा भी निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य का सही ढंग से पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं आयोग/विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त दोनों मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची में हुई गलती का निराकरण आज तक नहीं किया जा सका है एवं लोकसभा चुनाव, 2014 में मतदान केन्द्र सं0-104 में ग्रामीणों द्वारा मत का बहिष्कार किया गया।" इस प्रकार तत्कालीन उपायुक्त के प्रतिवेदन में मुझे कहीं भी दोषी नहीं ठहराया गया है।

आरोप सं0-6 एवं 7. कंडिका-6 एवं 7 एक ही विषयवस्तु पर निर्गत पत्र कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1507, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , गिरिडीह का ज्ञापांक-450/भू0सु0, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 है। इस संदर्भ में की गयी कार्रवाई निम्नवत् है:-

(क) दिनांक-17 सितम्बर, 2014 को मतदान केन्द्र सं0-104, 105, 106 एवं 107 के बी0एल0ओ0 को प्रपत्र-'8क' भरने का आदेश निर्गत किया गया। (ख) दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को सभी वैध मतदाताओं का प्रपत्र-'8क' स्वीकृत किया गया एवं बी0एल0ओ0 को पांडुलिपि तैयार करने का निर्देश दिया गया। (ग) दिनांक-14 अक्टूबर, 2014 को पांडुलिपि प्रस्तुत किया गया, जिसे अंतिम स्वीकृति एवं निबंधन हेतु अभिलेख निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रेषित किया गया।

विभागीय पत्रांक-3123, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी एवं स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-990/गो0, दिनांक 05 जून, 2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया मंतव्य प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

आरोप सं0-1. पूर्व का कोई भी कार्य यदि लंबित रहता है तो वर्तमान पदस्थापित पदाधिकारी उक्त कार्य के निष्पादन में अनदेखी नहीं कर सकते। श्री कुमार द्वारा नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निदेश दिये जाने के बावजूद डी0सी0 बिल सामंजन के प्रति अभिरूचि नहीं ली गयी। इनका स्पष्टीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

आरोप सं0-2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा अंतर्गत श्रम बजट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। इस संबंध में इनका स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। श्री कुमार द्वारा मनरेगा कार्य के संपादन में अभिरूचि नहीं लिये जाने के कारण एक राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी योजना में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। यह कृत्य उदासीनता, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

आरोप सं0-3 एवं 4. दिनांक-24 अगस्त, 2014 को भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री विकास योजना एवं विधायक मद की योजना, इंदिरा आवास योजना, BRGF, UID परियोजना, योजनाओं में रॉयल्टी की कटौती कर संबंधित विभाग में जमा से संबंधित कार्यों के संपादन में घोर अनियमितता पायी गयी ह। ऐसा कृत्य श्री कुमार की सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता एवं कार्य संपादन में शिथिलता को दर्शाता है। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

आरोप सं0-5, 6 एवं 7. यदि आरोपित पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यों का सही पर्यवेक्षण और देखरेख किया जाता तो कथित गलती नहीं होती। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण बिल्कुल संतोषप्रद नहीं है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि आरोपित पदाधिकारी दिनांक 14 अगस्त, 2013 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित हुए हैं। अतः वर्ष 2000-01 से माह-मई, 2014 तक के डी0सी0 विपत्र के सामंजन के लिए इन्हें ही दोषी नहीं माना जा सकता है। मनरेगा के अन्तर्गत श्रम बजट के 50 प्रतिशत राशि का व्यय माह सितम्बर, 2014 तक किया जाना था, परन्तु मात्र 36 प्रतिशत राशि का ही व्यय किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। इंदिरा आवास के लाभुकों को अगली किस्त के भुगतान में विलंब करना, पंचायत भवनों का निर्माण कार्य, यू0आई0डी0 परियोजना अन्तर्गत राशि के वितरण आदि आरोप पूर्णतः प्रमाणित नहीं होते हैं, लेकिन जितने प्रशासनिक आरोप इनके विरूद्ध लगाये गये हैं, उससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कार्य में जो रूचि ली जानी चाहिए थी, उसका अभाव परिलक्षित होता है।

समीक्षोपरान्त, उक्त आरोपों हेतु श्री कुमार की सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त करने की तिथि को एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजय कुमार, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 72—50 ।